



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

कृषि भवन, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110 001

Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110001

फा०सं० रा०भा० ३(३)/२०२१-हिन्दी

दिनांक २३ फरवरी, २०२१

सेवा में,

आकृतप के अधीनस्थ सभी संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों के निदेशक

विषय: गणेश शंकर विद्यार्थी हिन्दी पत्रिका पुरस्कार योजना (2020) के अंतर्गत प्रविष्टियां भेजने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के दौरान पत्रिकाएँ/गृह पत्रिकाएँ प्रकाशित करने वाले संस्थानों को पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी क्रम में वर्ष 2020 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पिछले वर्ष (अर्थात् १ जनवरी, २०२० से ३१ दिसम्बर, २०२०) के दौरान प्रकाशित पत्रिकाओं की पांच-पांच प्रतियां दिनांक १२ मार्च, २०२१ तक परिषद मुख्यालय को भिजवाने की कृपा करें। दिनांक २० अगस्त, २०२० के पत्र सं. ३(३)/२०२० के माध्यम से गणेश शंकर विद्यार्थी हिन्दी पत्रिका पुरस्कार योजना की नियमावली में संशोधन किए गए हैं। अतः अनुरोध है की प्रविष्टि प्रस्तुत करते समय नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित कर लें। इस योजना की नियमावली तथा मूल्यांकन मानदंड परिषद की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं। फिर, भी उसकी एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस पत्र के साथ प्रेषित है।

संलग्न: उपर्युक्त वर्णित

भवदीया

सीमा चौपड़ा  
(सीमा चौपड़ा)  
दिनांक (रा०भा०)



**भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद**  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि भवन, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110 001  
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

---

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली के अधीन आने वाले विभिन्न संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जाने वाली हिन्दी पत्रिकाओं/गृह पत्रिकाओं को पुरस्कार देने हेतु नियमावली

**पुरस्कार का नाम**

1. परिषद के विभिन्न संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों आदि में हिन्दी में प्रकाशित पत्रिकाओं/गृह पत्रिकाओं को पुरस्कृत करने से संबंधित इस पुरस्कार का नाम "गणेश शंकर विद्यार्थी हिन्दी पत्रिका पुरस्कार" है।

**पुरस्कार किसकी ओर से दिया जाएगा**

2. यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है।

**पुरस्कार का नाम**

3. अब तक यह पुरस्कार परिषद के संस्थानों आदि द्वारा वित्तीय वर्ष में हिन्दी में प्रकाशित पत्रिकाओं/गृह पत्रिकाओं के लिए दिया जा रहा था। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार वर्ष 2020 से यह पुरस्कार कैलेण्डर वर्ष (अर्थात् 1 जनवरी से 31 दिसम्बर) के दौरान प्रकाशित की गई पत्रिकाओं को दिया जाएगा। इस पुरस्कार में 'क' और 'ख' क्षेत्र के संस्थानों से प्रकाशित पत्रिकाओं के लिए तीन पुरस्कार क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में शील्ड और ट्रॉफियां दी जायेंगी तथा 'ग' क्षेत्र के संस्थानों से प्रकाशित पत्रिकाओं के लिए भी तीन पुरस्कार क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में शील्ड और ट्रॉफियां दी जायेंगी।

**पुरस्कार का स्वरूप**

4. इस पुरस्कार का उद्देश्य परिषद के विभिन्न संस्थानों द्वारा हिन्दी में प्रकाशित पत्रिकाओं/गृह पत्रिकाओं में परस्पर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा और एकरूपता लाकर उनमें उत्कृष्टता लाना है।

## **पुरस्कार संबंधी प्रशासकीय व्यवस्था**

5. पुरस्कार के चयन संबंधी नियम निर्धारित करने और पुरस्कार प्राप्तकर्ता/कर्ताओं के चयन का संपूर्ण अधिकार परिषद का है।
6. इन पुरस्कारों पर होने वाला व्यय प्रतिवर्ष मुख्यालय के स्वीकृत बजट से वहन किया जाता है।

## **पुरस्कार के लिए पात्रता**

7. यह पुरस्कार व्यक्तिगत न होकर संस्थान स्तर पर दिया जाता है। परिषद के अधीनस्थ वे सभी संस्थान/निदेशालय/ब्यूरो/केन्द्र आदि इस योजना में भाग ले सकते हैं जो अपने स्तर पर कैलेण्डर वर्ष (अर्थात् 1 जनवरी से 31 दिसम्बर) के दौरान हिन्दी में कोई पत्रिका/गृह पत्रिका का एक या इससे अधिक अंक प्रकाशित करते हैं।
8. पुरस्कार के लिए चयन प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के दौरान हिन्दी में प्रकाशित पत्रिका/गृह पत्रिकाओं में से किया जाता है। एक कैलेण्डर वर्ष के बाद प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
9. पत्रिका का आकार मौजूदा मानदंड के ए-4 साइज तथा डीकेएमए (भाकृअप) पूसा, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'खेती' के अनुरूप है, इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. पत्रिका में पृष्ठों की मानक संख्या न्यूनतम 80 होनी चाहिए।
11. चूंकि पत्रिका संस्थान की पहचान का माध्यम है अतः पत्रिका में संस्थान के अधिदेश और वैज्ञानिक उपलब्धियों को मुख्य स्थान दिया जाए।
12. मुद्रण की समयावधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।

## **पुरस्कार के लिए चयन की क्रियाविधि**

13. पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए परिषद की ओर से संस्थानों आदि को सूचना भेजी जाती है।
14. सभी संस्थानों आदि को प्रविष्टि सूचना में इंगित तारीख तक निदेशक (रा0भा0) के नाम से परिषद के पते पर भेजनी होती है।
15. मूल्यांकन समिति द्वारा निर्णय किए जाने के पश्चात पुरस्कार की सूचना संबंधित कार्यालय को दी जाती है।


16. यदि किसी वर्ष उपरोक्त वर्गों के लिए पुरस्कार के योग्य प्रविष्टि/प्रविष्टियां प्राप्त नहीं होती हैं तो उस वर्ष संबंधित वर्ग के लिए पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाएगी।
17. मूल्यांकन समिति की संस्तुति के बाद ही महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पुरस्कार स्वीकृत किया जाता है और इसकी घोषणा सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नामित अधिकारी द्वारा की जाती है।
18. पुरस्कार वितरण के संबंध में अलग से सूचना दी जाएगी।

#### **मूल्यांकन समिति**

19. सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नामित अधिकारी/विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष होता है तथा निदेशक (रा.भा.)/उप निदेशक (रा.भा.) सदस्य सचिव होते हैं।
20. समिति में अध्यक्ष के साथ कम से कम दो सदस्य होंगे जिनकी संख्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुमति से बढ़ाई जा सकती है।

#### **मूल्यांकन समिति के सदस्य सचिव का दायित्व**

- (क) समिति के अध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य को मूल्यांकन मानदंड की एक-एक प्रति भेजी जाती है।
- (ख) सदस्य-सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि समिति के अध्यक्ष व सदस्य संलग्न मानदंडों (अनुबंध-I) के आधार पर अलग-अलग पत्रिका/गृह पत्रिकाओं का मूल्यांकन करें।
- (ग) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मूल्यांकन समिति की बैठक बुलाई जाए जिसमें मूल्यांकन समिति की संस्तुतियों के आधार पर पुरस्कार के लिए अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
- (घ) मूल्यांकन समिति के सदस्य/सदस्यों को प्रविष्टि के विषय में यदि कोई विशेष जानकारी चाहिए तो वह उसे संबंधित संस्थान आदि से लेकर उपलब्ध कराया जाएगा।
- (ङ) पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन के लिए निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार चुने गए पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा के लिए परिपत्र जारी किया जाएगा।



## मूल्यांकन के लिए मानदंड

क्र.सं.	शीर्ष 'क'	विवरण	अंक
1	मुद्रण	<ul style="list-style-type: none"> <li>समय पर प्रकाशन, मुद्रण की समयावधि का स्पष्ट उल्लेख</li> <li>रिपोर्ट की साज-सज्जा, चित्रों, तालिकाओं, पत्रों इत्यादि का आकार ऐ-4/परिषद से प्रकाशित 'खेती' पत्रिका के समरूप</li> <li>आवरण पृष्ठ सहित समग्र रूप से प्रस्तुतीकरण</li> <li>पत्रिका/गृह पत्रिका के माध्यम से संस्थान की पहचान</li> </ul>	25
2	विषय सूची की प्रकृति	<ul style="list-style-type: none"> <li>फार्मेट के अनुसार उपयुक्त क्रम में पूर्ण विवरण</li> <li>बिना पुनरावृत्ति के समस्याओं के समाधान से संबंधित अनुसंधान उपलब्धियों, अधिदेश के अनुसार अनुसंधान कार्यसूची</li> <li>पत्रिका में पृष्ठों की मानक संख्या न्यूनतम 80 होनी चाहिए।</li> <li>अनुसंधान नियोजन की वैज्ञानिकता</li> <li>स्पष्ट परिणाम</li> <li>उपयुक्त चित्र एवं तालिकाएं</li> </ul>	25
3	विषयों की गुणवत्ता	<ul style="list-style-type: none"> <li>मौलिकता, नवीनता, सुजनात्मकता</li> <li>अनुसंधान/शिक्षण/विस्तार कार्य में उत्कृष्टता-पुरस्कार, सम्मान, मान्यता इत्यादि</li> <li>चूंकि पत्रिका संस्थान की पहचान का माध्यम है अतः पत्रिका में संस्थान के अधिदेश और वैज्ञानिक उपलब्धियों को मुख्य स्थान दिया जाए।</li> <li>संस्थान की विषय-वस्तु से संबंधित लोकप्रिय अनुसंधान लेख/राजभाषा लेख, गतिविधियों व संस्थान के प्रकाशन</li> </ul>	25
4	संपादन	<ul style="list-style-type: none"> <li>व्याकरण, वर्ण विन्यास, भाषा की गुणवत्ता</li> <li>भाषा-प्रवाह, सामंजस्य, पठनीयता</li> <li>संक्षिप्तता, सारगमिता, शुद्धता</li> <li>अभिव्यक्ति में सुस्पष्टता, उपयुक्त तकनीकी शब्दावली का प्रयोग</li> <li>उपयुक्त शीर्षक, उप-शीर्षक व उनके "फोटो" का आकार</li> </ul>	25
कुल			100